न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 720–पीबीआर/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 12–12–12 पारित अपर कलेक्टर, जिला विदिशा प्रकरण कमांक 06/2012–13 निगरानी.

सौदानसिह आ0 मोतीलाल दागी
निवासी ग्राम डाबर, तह0 एवं जिला
विदिशा, म0प्र0 ––– आवेदक

विरूध्द

1– बुन्देलसिंह आ0 कुन्दनसिंह दांगी
2– राजमल आ0 तखतसिंह दांगी
दोनों निवासी ग्राम डाबर, तह0 एवं जिला
विदिशा, म0प्र0 ––– अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक – आवेदक
श्री मनोज गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदक क0 1

आदेश

(आज दिनांक 13 मई ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर जिला विदिशा के निगरानी प्रकरण कमांक 06/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12–12–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार के आदेश के पालन में सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख (ए एस एल आर) व्दारा दिनांक 24–07–08 को प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 130 एवं 131 का सीमांकन कर प्रतिवेदन पंचनामा, फील्ड बुक सहित नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। इससे असन्तुष्ट होकर आवेदक व्दारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपर कलेक्टर ने अपने

आदेश दिनांक 12–12–12 व्दारा खारिज किया। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि सहा0 अधीक्षक, भू–अभिलेख ने सीमांकन हेतु दिनांक 24–05–08 की तिथि नियत की। इस तिथि की सूचना आवेदक एवं तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में सीमांकन दल में सम्मिलित राजस्व निरीक्षक श्री चन्देल को भी प्राप्त हो गयी थी, किन्तु नियत दिनांक 24–05–08 को सीमांकन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सीमांकन दल व्दारा आवेदक को सूचना दिये बिना लगभग 2 माह बाद दिनांक 24–07–08 को एकपक्षीय सीमांकन किया गया है। उनका तर्क है कि पंचनामें में असत्य टीप अंकित की गयी है कि पंचनामें पर आवेदक ने हस्ताक्षर नहीं किये। आवेदक को सीमांकन की कोई सूचना ही नहीं दी गयी थी, इसलिये मौके पर उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं था। सीमांकन दल ने स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर कार्यवाही नहीं करते हुए सिर्फ खसरा क0 130 एवं खसरा क0 131 के मध्य ही सीमांकन की कार्यवाही की गयी जो त्रुटिपूर्ण है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि नायब तहसीलदार व्दारा अधीक्षक, भू–अभिलेख के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 130 एवं 131 का विधिवत सीमांकन कराया गया है। सीमांकन दल व्दारा सीमांकन दिनांक की विधिवत सूचना देने के बाद सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित की गयी है। आवेदक सौदानसिंह मौके पर सीमांकन के उपस्थित था, किन्तु उसके व्दारा पंचनामें पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ विचारण तहसील न्यायालय के अभिलेख से विदित होता है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 31–05–08 को प्रकरण अधीक्षक, भू–अभिलेख को अग्रेषित किया और अधीक्षक, भू–अभिलेख के पत्र दिनांक 18–7–08 के पालन में दिनांक 24–7–08 को सीमांकन करना सहा0 अधीक्षक, भू–अभिलेख ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है।

सहा0 अधीक्षक, भू–अभिलेख व्दारा दिनांक 18–07–08 को जारी सूचनापत्र में नायब तहसील विदिशा के प्र0क0 13ए–12/08 दिनांक 31–5–08 के अनुसार ग्राम डाबर की भूमि का सीमांकन दिनांक 24–7–08 को किया जाना अंकित किया गया है। जब सहा0 अधीक्षक, भू–अभिलेख व्दारा आदेश के पालन में सूचनापत्र ही दिनांक 18–7–08 को जारी किया है, तब आवेदक का यह कथन की सीमांकन हेतु 24–5–08 की तिथि नियत की गयी थी, मान्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा मे आवेदक का तर्क अभिलेख सम्मत नहीं है। सहा0 अधीक्षक, भू–अभिलेख व्दारा राजस्व निरीक्षक, पटवारी हल्का एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में खसरा क0 131 एवं 130 का सीमांकन कर दिनांक 24–7–08 को पंचनामा बनाया गया है जिसमें राजस्व निरीक्षक, पटवारी हल्का, कोटवार एवं ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं तथा पंचनामें पर अनावेदक व्दारा हस्ताक्षर करने से मना किया जाना गबाहों के समक्ष अंकित किया गया है, इसलिये आवेदक अभिभाषक का तर्क प्रमाण के अभाव में मान्य योग्य नहीं है। सीमांकन के साथ फील्डबुक भी प्रस्तुत की गयी है जिसमें किस प्रकार सीमांकन किया गया, स्पष्ट रूप से अंकित है। विव्दान अपर कलेक्टर ने भी समस्त तथ्यों पर विचार कर आवेदक का निगरानी आवेदनपत्र खारिज किया गया है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदनपत्र खारिज किया जाता है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 12–12–12 तथा विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,